

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर

राज्य सरकार जरीये प्रवर्तित वनाम जैर-त सिंह
 निवेदन क्र. ६६६
 किस्म मुकदमा आ.प.प्र. क्र. ६८५ मु.नं. ८२ वर्ष २०२५

दिनांक	आज्ञा - पत्र	
20/4/26	<p>पशावली पत्र हुई। अग्रणी की को के लाल दफ्तारवाला पत्र नहीं बटल हुनी गई। पशावली वाले कोडिगडिकि 20/4/26 को ये पत्र है।</p>	
30/4/26	<p>पशावली पत्र हुई। पशावली कोडिग के ही समग्र पशावली का गलत से इवलोकन किया। इस जलतुडा 06 सिलेक्टर अबत साकार किये जाते हैं। निजिल प्रपत्र के लिखवात्रा गोवर शामिल पशावली किया गया पालन जिला एस. अधिकारी, सीकर के लिखा गये पशावली केवल (केवल) होकर का तक्कील डालिल उपलब्ध है।</p>	



उपखण्ड अधिकारी
 धौद जिला-सीकर